<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 632 वर्ष 1993</u>

सुरेश उर्फ रवि

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

एवं

(संबंधित दांडिक अपील क्रमांक 835/1993)

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें: 29/09/2010

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

दांडिक अपील क्रमांक 632 वर्ष 1993

अपीलार्थी सुरेश उर्फ रवि पुत्र इतवारी लोधी उम्र 17 वर्ष
निवासी कोहाका रोड भिलाई

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

और

दांडिक अपील क्रमांक 835 वर्ष 1993

अपीलार्थी विष्णु पुत्र इतवारी गड़रिया उम्र 18 वर्ष
निवासी बाबा फरीदनगर, कोहाका,
भिलाई, जिला दुर्ग

बनाम

उत्तरदाता मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री नीरज मेहता, सीआर.ए. क्रमांक 632/93 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री निरुपमा बाजपेयी, सीआर.ए. क्रमांक 835/93.में अपीलकर्ता की अधिवक्ता।

श्री आर. त्रिपाठी, दोनों अपीलों में राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(29.09.2010)

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

(1) ये अपीलें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 47/90 में पारित निर्णय दिनांक 30.6.93 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं।

(2) इस आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता सुरेश उर्फ रवि को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत भी

दोषी ठहराया गया है और उन्हें 7 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह निर्देश दिया गया है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

(3) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोक्ता (अ.सा.-1) 13.3.87 से लापता थी। उसके पिता सुखलाल (अ.सा.-2) ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्वेषण करने पर पता चला कि अपीलकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे आंध्र प्रदेश के रामकुंडम गाँव ले गए थे, जहाँ वह अपीलकर्ता सुरेश के साथ उसकी बहन के घर रह रही थी। अभियोक्ता की बरामदगी के बाद, उसने खुलासा किया कि अपीलकर्ता सुरेश ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।

21.3.87 को अभियुक्ति को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. सोभा राजपूत (अ.सा.-3) ने उसकी जांच की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्स.-पी/3 तैयार की। उन्होंने पाया कि अभियुक्ति संभोग की आदी थी। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। हाइमन अनुपस्थित थी। योनि पर कोई चोट नहीं थी। हाल के संभोग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई थी। उम्र की पुष्टि के लिए, उन्होंने अस्थिकरण परीक्षण की सलाह दी। अस्थिकरण परीक्षण डॉ. जी.एन. तिवारी (अ.सा.-4) द्वारा किया गया था। रिपोर्ट एक्स.-पी/4 है। एक्स-रे प्लेट एक्स.-पी/4-ए है। अस्थिकरण परीक्षण में अभियोक्ता की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाँच के दौरान, इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय, रामनगर के प्रधानाध्यापक से 31.3.87 को एक प्रमाण पत्र (प्रमाण-पी/8) प्राप्त किया गया। उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार, अभियोक्ता की जन्मतिथि 7.7.1973 थी।

अभियोक्ता की जन्मतिथि दर्ज करने के लिए स्कूल रजिस्टर भी ज़ब्त कर लिया गया। स्कूल रजिस्टर की प्रति, प्रदर्श पी/9 के अनुसार, उसमें अंकित उसकी जन्मतिथि 7.7.1973 थी।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिरधारित कि अभियोक्ता नाबालिग थी, उसे अपीलकर्ताओं द्वारा अपहरण किया गया था और अपीलकर्ता सुरेश द्वारा उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग यौन संबंध बनाए गए थे।

(5) संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अभियोक्ता के नाबालिग होने का कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दर्ज करके विधिक त्रुटि की है कि अभियोक्ति घटना के दिन नाबालिग थी। उन्होंने यह

भी तर्क दिया कि अभियोक्ता अपीलकर्ता सुरेश से प्रेम करती थी; अभियोक्ता द्वारा अपीलकर्ता सुरेश को लिखे गए कई प्रेम पत्र सिद्ध हो चुके हैं; मामला सहमति का प्रतीत होता है; इसलिए दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से दोषपूर्व है।

(6) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर. त्रिपाठी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) सबसे पहले, मैं अभियोक्ति की आयु से संबंधित निष्कर्ष की जांच करूंगा।

(9) सुखलाल (अ.सा.--2) अभियोक्ति का पिता है। वह एच.एस.सी.एल. में किसी सेवा में था। उसने बयान दिया कि 13.7.87 को जब वह ड्यूटी से लौटा तो उसने पाया कि अभियोक्ति गायब थी। खोजबीन की गई, उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अन्वेषण के दौरान उसने पुलिस को बताया कि सुरेश के भाई ने उसे बताया है कि शायद अभियोक्ति को रामकुंडम गांव ले जाया गया है। इसके बाद वह पुलिस दल और सुरेश के बड़े भाई के साथ रामकुंडम गया और पाया कि अभियोक्ता वहां अपीलकर्ता सुरेश के बहनोई (जीजा) के घर में रह रही थी। अपीलकर्ता भी वहां मौजूद थे। पुलिस उसकी बेटी को वापस ले आई और उसे उसे सौंप दिया गया। उसने बयान दिया कि अभियोक्ति का जन्म वर्ष 1973 में हुआ था और वह कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। अपने प्रति परीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि अभियोक्ति का जन्म सीतामणी जिले के धनहरा गाँव में हुआ था। घटना के बाद उसकी शादी हो गई थी। अभियोक्ति ने बिहार राज्य के बोकारो स्टील सिटी में पढ़ाई की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियोक्ता के मेडिकल कार्ड के आधार पर, उस संस्थान में उसके दाखिले के लिए उसकी जन्मतिथि बताई गई थी।

(10) शिवधारी सिंह (अ.सा.--8), इंद्रा गांधी मिडिल स्कूल, रामनगर, वैशालीनगर, दुर्ग के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 31.3.87 का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अभियोक्ता की जन्मतिथि 7.7.1973 (एक्स.-पी/8) अंकित की। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी संस्था के प्रवेश रजिस्टर के अनुसार, अभियोक्ता का प्रवेश 3.7.87 को उनकी संस्था में कक्षा 6 में हुआ था और उनकी जन्मतिथि प्रवेश रजिस्टर का उल्लेख 7.7.73 के रूप में किया गया है। मूल रजिस्टर भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक्स पी /9-ए के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कॉपी को एक्स पी /9 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है। अपने प्रति परीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उपरोक्त स्कूल एक सरकारी स्कूल नहीं है। सीरियल नंबर 738 में प्रविष्टि उनके द्वारा नहीं की गई थी। आमतौर पर इस तरह से प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टि 5 वीं पास के प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टि के आधार पर की जाती है। वह ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिस पर उपरोक्त प्रविष्टि की गई हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रवेश रजिस्टर में जन्मतिथि दर्ज करने के बाद, वह संबंधित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करते थे। मैंने रजिस्टर की प्रति देखी है जिसमें रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के लिए कोई कॉलम नहीं है। अंतिम कॉलम खाली है। प्रवेश रजिस्टर के सीरियल नंबर 738 की प्रविष्टियां करने वाले व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने अस्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है वर्तमान में कि जब कोई छात्र स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेता है तो उसका नाम स्कूल के प्रवेश रजिस्टर से हटा दिया जाता है।

(11) हम पाते हैं कि अभियोक्ति की जन्मतिथि के संबंध में पिता का साक्ष्य अस्पष्ट है। वह सेवा में थे। उन्होंने केवल अभियोक्ति की जन्म वर्ष बताया है, लेकिन जन्मतिथि नहीं बताई है। उन्होंने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने बोकारो (बिहार) में पढ़ाई की है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा बोकारो की संस्था से कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत, स्थानीय निजी स्कूल से संबंधित दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टि पर कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रवेश रजिस्टर एक्स पी /9-ए में उक्त प्रविष्टि किस आधार पर की गई थी। यहां तक कि प्रवेश रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। अ.सा.-8 शिवधारी सिंह द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उक्त प्रविष्टि किस आधार पर की गई थी। अभियोक्ति क्ता बोकारो में पढ़ रही हो सकती है और बाद में उसे उक्त संस्थान में भर्ती कराया गया हो सकता है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि पहले के संस्थान के रिकॉर्ड में उल्लिखित जन्मतिथि क्या थी, जहां वह पढ़ रही थी, और पहले के संस्थान का स्थानांतरण प्रमाण पत्र या उस संस्थान के अन्य रिकॉर्ड जिसमें अभियोक्ता की जन्मतिथि शामिल थी, स्कूल रजिस्टर (एक्स पी /9-ए) में प्रविष्टि करने का आधार थे। इसलिए, सत्र न्यायाधीश ने हेडमास्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा स्कूल रजिस्टर की अहस्ताक्षरित प्रविष्टि पर अवलंब होने में त्रुटि जो कि एक्स पी /9 के रूप में सिद्ध हुई, जो प्रमाण पत्र एक्स पी /8 का भी आधार थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) मोदीज़ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस (20वां संस्करण) में कहा गया है कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा देखी गई कुछ एपिफ़ाइसिस की आयु, उद्भव और संलयन के वर्ष को दर्शाने वाली तालिका पर बहुत अधिक अवलंब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल औसत दर्शाता है और विकास की विलक्षणताओं के कारण एक ही प्रांत के व्यक्तिगत मामलों में भी भिन्न हो सकता है। आगे कहा गया है कि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि त्रुटि की सीमा दोनों तरफ तीन वर्ष तक हो सकती है।

(13) उपरोक्त के अलावा, अभियोक्ति की आयु का कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोक्ति की आयु सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा कि घटना के दिन अभियोक्ति की आयु 16 या 18 वर्ष से कम थी। अतः, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह मानकर विधिक त्रुटि की कि घटना के दिन अभियोक्ति अवयस्क थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अब हम अभियोक्ति (अ.सा.-1) के आचरण पर विचार करेंगे।

(15) अभियोक्ता ने बयान दिया कि अपीलकर्ता- सुरेश उर्फ रवि उनके घर के पास रहता था। वह अपने भतीजे के माध्यम से अभियोक्ति को प्रेम पत्र भेजता था। 13.3.87 को अपीलकर्ता अवकाश के समय उसके स्कूल आए। इसके बाद निर्मलजीत नाम की एक लड़की उसके पास आई और उसे बैंक के पास एक जगह पर ले गई। अपीलकर्ता वहीं मिले। अपीलकर्ता- सुरेश ने उसे भिलाई से बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। जब उसने इनकार किया, तो अपीलकर्ताओं ने उसे धमकी दी, इसलिए वह अपीलकर्ताओं के साथ चली गई। वे एक टेम्पो से पावर हाउस रेलवे स्टेशन गए। पावर हाउस स्टेशन पर उनकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वे एक अन्य टेम्पो से दुर्ग रेलवे स्टेशन गए। वे एक ट्रेन में सवार हुए और रात में नागपुर स्टेशन पर उतर गए। वे नागपुर में रुके और उसके बाद वे हैदराबाद के लिए ट्रेन में सवार हुए। हैदराबाद से वे सुरेश की बहन के घर गए जो रामकुंडम गांव में थी। सुरेश के बहन के घर वे 4 दिन तक रुके थे। इस अवधि के दौरान सुरेश ने 3-4 बार लैंगिक संभोग किए। अपीलकर्ता- विष्णु ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। इसके बाद पुलिस पार्टी वहां आई और उसे भिलाई वापस लाया गया। प्रति परीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि उसने अपीलकर्ता सुरेश को पत्र एक्स.-डी/2, डी/3, डी/4, डी/5, डी/6, डी/7, डी/8 और डी/9 लिखे थे, लेकिन ये उसके विवाह से पहले लिखे गए थे। उसने आगे स्वीकार किया कि सुरेश उसे अनीता

नाम की एक लड़की के माध्यम से पत्र भेजता था और वह भी अनीता के माध्यम से जवाब भेजती थी। अभियोक्ति ने भिलाई से हैदराबाद और रामकुंडम तक के रास्ते में किसी को भी खतरे की सूचना नहीं दी। यहां तक कि उसने अपीलकर्ताओं के साथ रहने के दौरान किसी से कोई शिकायत नहीं की। अभियोजन पक्ष का उपरोक्त आचरण और पत्रों की विषय-वस्तु, जिसे उसने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया था, यह दर्शाती है कि वह अपीलकर्ता सुरेश के साथ सहमति देने वाली पार्टी थी और तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 363, 366 और 376 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता।

(16) उपरोक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड निरस्त किए जाते हैं और जमानतदार उन्मोचित माने जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Kusumlata